सामना

बारात में बजनेवाले गानों पर कॉपीराइट का नो टेंशन

अब गाना भी बजेगा, संगीत समारोह भी होगा

सुजीत गुप्ता / मुंबई

शादी-समारोह का सीजन आ गया है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि नाच-गाना तो होगा ही। हालांकि बारात या संगीत समारोह में बजाए जानेवाले गानों को कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन बताकर कुछ निजी फर्म आयोजकों से लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं। अब ऐसे आयोजकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब शादी में बिंदास गाना भी बजेगा और संगीत समारोह भी होगा, बस उन्हें फर्जी वसूली करनेवालों से सावधान रहने की जरूरत है। इसी को लेकर अब होटल इंडस्ट्री लोगों में जागरूकता लाने जा रही है।

अभियान शुरू

होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया (एचआरएडब्ल्यूआई) ने रिकॉर्डेड म्युजिक बजाने को लेकर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के सामने आनेवाले कॉपीराइट मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह अभियान पुणे में हुई हालिया घटनाओं के मद्देनजर शुरू किया गया है। पिछले दिनों मुंबई की दो निजी फर्मों ने स्टार होटल में विवाह समारोहों में संगीत प्रदर्शन के लिए कॉपीराइट लाइसेंस दिखाकर व्यवसायियों से १.३७ लाख रुपए वसूल लिए थे।

पुलिस आयुक्तों के साथ होगी बैठक

इस अभियान के तहत एसोसिएशन पश्चिमी क्षेत्र के सभी पुलिस आयुक्तों के साथ बैठक कर उन्हें एजेंसियों की चल रही अवैध गतिविधियों के बारे में सूचित करेगा। एचआरएडब्ल्यूआई ने अपने सभी सदस्यों को इस कानून के बारे में सूचित करने के लिए परिपत्र भी जारी किया है।

एचआरएडब्ल्यूआई के अध्यक्ष शेरी भाटिया ने कहा, 'शादियों का समय नजदीक आ रहा है और ऐसे समय में इस विषय पर उद्योग के लोगों, मेहमानों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच जागरूकता की कमी के चलते कॉपीराइट एजेंसियों द्वारा धमकी देकर पैसे लिए जाते हैं। कानून द्वारा स्पष्ट किया गया है कि विवाह स्थलों पर विवाह और संबंधित सामाजिक या धार्मिक समारोहों के लिए किसी भी ध्वनि रिकॉर्डिंग को चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

दिया २०१९ की अधिसूचना का हवाला

एचआरएडब्ल्यूआई ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी २७ अगस्त, २०१९ की अधिसूचना का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि सभी धार्मिक और विवाह संबंधी कार्यों को कॉपीराइट शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी। इस तरह के कार्यों में सभी धार्मिक समारोह, विवाह समारोह, सगाई और रिसेप्शन शामिल होंगे। एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि कॉपीराइट अधिनियम १९५७ की धारा ५२ शादी से जुड़े बारात और अन्य सामाजिक उत्सवों सहित सभी धार्मिक कार्यों के लिए रॉयल्टी या लाइसेंस शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करती है।